

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, बिहारशरीफ, नालन्दा ।

नियमित जमानत आवेदन संख्या 1466/2022

बलीराम कुमार बनाम बिहार सरकार

नालन्दा थाना कांड संख्या 128/2022

अंतर्गत धारा 399, 402 भा0 द0 वि0 एवं 25 (1-बी)ए/26/35 शस्त्र अधिनियम

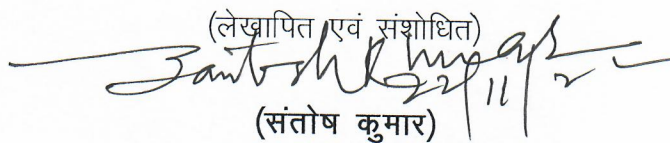
22.11.2022

अभियुक्त बलीराम कुमार जो दिनांक 17.06.2022 से कारावासित है, की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन को संचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि इस वाद में अभियुक्त के पास से किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुई है, जो भी पिस्तौल और गोली बरामद होने की बात कही गई है वह सह-अभियुक्त रौशन कुमार के कब्जे से की गई है इसलिए इस अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किया जाय । उनके अनुसार इस अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है लेकिन बाद में नालन्दा थाना कांड सं0 26/2022 तथा 120/2022 में नाम प्रकाश में लाया गया है । अतः अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किया जाय ।

विद्वान अपर लोक अभियोजक आवेदक के उक्त आवेदन का विरोध करते हैं ।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अभिलेख का अवलोकन किया और पाया कि इस वाद में आवेदक बलीराम कुमार दिनांक 17.06.2022 से कारावासित है । अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है लेकिन बाद में नालन्दा थाना कांड सं0 26/2022 तथा 120/2022 में नाम प्रकाश में लाया गया है और इसके पास से कोई भी पिस्तौल एवं गोली बरामद नहीं हुआ है । तथाकथित गोली एवं पिस्तौल अभियुक्त रौशन कुमार के कब्जे से बरामद किया गया है ।

अतः मामले के सभी तथ्यों व परिस्थितियों पर विचारोपरांत आवेदक को 10,000/- रु0 के जमानत तथा उसी राशि के समतुल्य दो प्रतिभूओं वाले बंधपत्र दाखिल करने के उपरांत निम्न न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है ।

(लेखापित एवं संशोधित)  
  
(संतोष कुमार)

अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय  
बिहारशरीफ, नालन्दा ।